

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

नैनीताल

(हल्द्वानी)

ईमेल-cfontl.ukfs@gmail.com,

पत्रांक:- सी0एफ0ओ0-न-6(इ0)/2022

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
THE BASE SCHOOL,
DHARIYA HALDWANI,
DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND,

दिनांक-जून 20, 2022

विषय:- अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक के आवेदन पत्र सं0-18784313 दिनांक:-07.06.2022 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय से निर्गत आदेश दिनांक:-08.06.2022 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा THE BASE SCHOOL, DHARIYA HALDWANI, का प्राथमिक अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. परिसर में अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक 26 हजार ली0 क्षमता का प्राविधान किया गया है।
2. संस्थान परिसर में 05 अदद ABC टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा क्षमता एवं 01 अदद होजरीलू मय फिटिंग्स का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि -

1. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 के Part-04 में निहित मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाय रखेगे।
3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
4. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास तथा निकास मार्ग, भवन सैट बैक क्षेत्र में किसी समग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।
6. प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार 10 रु0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र/Self Audit Report प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।
7. निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक-न-/फा0स0/2022 के आधार पर THE BASE SCHOOL, DHARIYA HALDWANI, को दिनांक-20 जून 2022 से 19 जून 2025 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय की कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

The Base School
Dehariya Haldwani

PRINCIPAL
Base Kids Kingdom
Haldwani Dist Nainital (U.K.)